

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) न्यायालय समिति द्वारा

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

राजपाल

बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत रिपोर्ट इकस्ती अन्तर्गत धारा 88RTA

मुकदमा नम्बर :- 123 / 2022

निर्णय दिनांक :- 10-06-2022

वादी की ओर से 10-06-2022 की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10-06-22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वीकार किया जाना चाहिए कि राजपाल पररा राजपुरा खाला सं. 129 खं. कां. 1, 49, 05, 50 93, 98 की जमाबंदी में दर्ज राजपाल पुत्र किशोर के स्थान पर राजपाल पुत्र डोग प्रकाश किशोर की घोषणा की जाती है। तहसीलदार को खतानुसार राजत्व डोगिलेश में डोगल दरमद करे। वृत्ति के विषय में प्रकाश अपराधिक प्रकाश दर्ज होने या सरकारी बंकाय की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10-06-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल	
जोड़	जोड़

